न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–22/2021

प्रार्थी:–

भीमाराम पुत्र भुराराम जाति सुथार निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया के खेत खसरा संख्या 110,1232,1355,278,321,680,681,1550/342,1566/401,347,348,349 रकबा क्रमश:08903, 4.3382,1.5783,1.0521,1.3517,1.3517,0.8822,6.8715,7.1063,0.0728,0.0162,0.4127 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड ,जन आधार कार्ड,पेनकार्ड, व मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम भीमाराम पुत्र भुराराम दर्ज है। ग्राम पंचायत रमणिया जिला बाडमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम भीमाराम पुत्र भूराराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में दलिया पुत्र भुरा नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एंव ऋण इत्यादि में भारी परेशानी रहती हैं दलिया व भीमाराम नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थी को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । वादग्रस्त भूमि के खातेदार नारायण पुत्र भूराराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान किये जाने बावत् सहमति जाहिर की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत रमणिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दलिया पुत्र भूराराम के स्थान पर भीमाराम पुत्र भूराराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड ,जन आधार कार्ड,पेनकार्ड, व मतदाता पहचान पत्र दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

न पुत्र भूराराम दर्ज हैं । ग्राम पंचायत रमणिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह फत है कि दलिया पुत्र भूराराम व भीमाराम पुत्र भूराराम दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः रोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया के खेत खसरा संख्या 110,1232,1355,278,321,680,681,1550/342,1566/401,347,348,349 रकबा क्रमशः08903, 4.3382,1.5783,1.0521,1.3517,1.3517,0.8822,6.8715,7.1063,0.0728,0.0162,0.4127 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "दलिया पुत्र भूराराम " के स्थान पर " भीमाराम पुत्र भूराराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested